



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 362 राँची, शुक्रवार,

18 जुलाई, 2025 (ई०)

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग

संकल्प

18 जुलाई, 2025

विषय: झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत मनोनयन के आधार पर राज्य रजिस्ट्रार और एनरोलमेंट एजेंसी अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग एवं CSC SPV के मध्य, सरकारी परिसर यथा-पंचायत भवन/वार्ड कार्यालय/शहरी निकाय कार्यालय में आधार स्थाई पंजीकरणकेंद्र (PEC) की स्थापना हेतु पूर्व में किए गए एकरारनामे को रद्द करते हुए UIDAI, भारत सरकार द्वारा in-house model हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में CSC-SPV द्वारा सरकारी परिसर यथा-पंचायत भवन/वार्ड कार्यालय/शहरी निकाय कार्यालय में आधार केंद्र (Update Client Lite) की स्थापना तथा इस हेतु राज्य सरकार एवं CSC-SPV के मध्य किये जाने वाले एकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति।

संख्या- 740--वर्तमान में CSC SPV, राज्य रजिस्ट्रार और एनरोलमेंट एजेंसी अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड सरकार के अंतर्गत सरकारी परिसर यथा-पंचायत भवन/वार्ड कार्यालय/शहरी निकाय कार्यालय में आधार स्थाई पंजीकरण केन्द्र की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। UIDAI के कार्यालय ज्ञापन सं०-HQ-16024/4/2020-EU-I-HQ Part (1)

दिनांक 30-01-2023 द्वारा आधार पंजीकरण का कार्य सुरक्षित परिवेश में करने हेतु in-house मॉडल की परिकल्पना की गई है एवं इससे संबंधित दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। उक्त कार्यालय आदेश के अनुसार वैसे आधार पंजीकरण केन्द्रों को in-house model के तहत समझा जायेगा जो निम्न अहर्ताओं को पूरा करते हैं:-

Category A- Ministries/Departments/Agencies of Central/State Government:

- i. Aadhaar Enrolment Kit (AEK) (Machines) owned by the Registrar / Enrolment Agency (EA) (procured using ICT assistance from UIDAI/Gol or procured using own fund of State Registrar/EA).
- ii. AEK is located and functioning from Government Premises under the overall supervision of a government official.

2. CSC-SPV द्वारा स्थापित सभी आधार पंजीकरण केन्द्र UIDAI द्वारा जारी in-house model के अहर्ताओं को पूरा नहीं करते हैं। अतः UIDAI के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार अब CSC-SPV द्वारा स्थापित किये गये आधार पंजीकरण केन्द्र, पूर्व में किये गए एकरारनामे के प्रावधानों के अनुसार संचालित नहीं किये जा सकते हैं।

अतः वर्णित स्थिति में मौजूदा एकरारनामे को रद्द करते हुए UIDAI द्वारा निर्गत in-house model के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ DoIT एवं CSC-SPV के बीच पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों तथा वाडो में आधार केन्द्रों की स्थापना हेतु नया एकरारनामा किया जाएगा। जिसकी मुख्य शर्तें निम्नवत् होगी:-

- i. Dept. of IT & e-Gov. -GoJ hereby appoints CSC-SPV for the purpose of collecting and forwarding specified data required for Aadhaar update to UIDAI and performing the services ("Services") hereto, subject to the terms and conditions hereinafter set forth.
- ii. CSC-SPV is permitted to setup Aadhaar Centers in Govt. premises (Gram Panchayat Bhawan / Ward Office / ULBs) and allowed to operate with Update Client Lite (UCL) software provided by UIDAI having provision for address update, mobile/email update and document update only.
- iii. CSC-SPV will pay the expenses of electricity, internet etc. to the respective ULBs directly for setting up an Aadhaar Center in ULBs.
- iv. DoIT & e-Gov. will not bear any expenses w.r.t. the rent, electricity, internet and others for setting up and functioning of an Aadhaar Center.

- v. Aadhaar Centre in Panchayat Bhawan will be operated by the operator already designated for “Pragya Kendra” under the “Digital Panchayat Yojana” in respective Panchayat.
- vi. All the guidelines/circulars issued by UIDAI w.r.t. Aadhaar Centers / Aadhaar update and applicable within the scope of this agreement shall be applicable to Aadhaar Centers setup by CSC-SPV.
- vii. CSC-SPV shall ensure that the Supervisor/ Operator will abide by the operational procedures specified in operating manual wherever applicable and comply with orders, directions, circulars or notices which may be issued or prescribed by Dept. of IT & e-Gov. - GoJ or UIDAI.
- viii. CSC-SPV shall also ensure that the Supervisor/ Operator adhere to all provisions of this Agreement.
- ix. Supervisor / Operators must operate Aadhaar Kit only in Govt. premises (Gram Panchayat Bhawan / Ward Office / ULBs). The Deputy Commissioner-cum-Sub Registrar of each District shall be Controlling and Administrative Authority, and the office shall be addressed as “Controlling-Office” of Aadhaar Center setup within the jurisdiction of the District.
- x. The allocation of Government premises will be done by the Controlling Office.
- xi. Working of Aadhaar Center must be as per official timings. Supervisor / Operators should not be allowed to operate Aadhaar Kit on State Govt. Holidays/Off-days and should not be allowed to take away the kit from the center on off-days/holidays and even at the End of the Day.
- xii. The obligations of CSC-SPV arising out of the terms and conditions contained herein shall be independent of and in addition to the obligations arising out of its any other activities.
- xiii. UIDAI vide letter no. HQ-16019/7/2020-EU-I-HQ dated 03 May, 2023 has allotted a new **Enrolment Agency (EA) code (4068)** to Dept of IT & e-Gov.- GoJ. All the CSC-SPV operators are onboarded under new allotted EA code-4068 for setting up Aadhaar Centers in Govt. premises (Gram Panchayat Bhawan / Ward Office / Urban Local Bodies) for UCL.

3. UIDAI के कार्यालय ज्ञापन सं०-HQ-16024/4/2020-EU-I-HQ Part (1) दिनांक 30-01-2023 के आलोक में CSC SPV द्वारा स्थापित किए गए आधार पंजीकरण केन्द्रों को सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के एक नए Enrolment Agency (EA) code - 4068 में स्थानांतरित कर दिया जाएगा एवं इन केन्द्रों में Update Client Lite (UCL) Software द्वारा आधार में केवल पता अद्यतन, मोबाईल/ई-मेल अद्यतन एवं दस्तावेज अद्यतन की सुविधा होगी। इन केन्द्रों में आधार पंजीकरण एवं बायोमेट्रिक अद्यतन का कार्य निष्पादित नहीं किया जाएगा ।
4. राज्य सरकार एवं CSC-SPV के बीच किये जाने वाले एकरारनामों से राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा । प्रत्येक अद्यतन के लिए UIDAI, भारत सरकार द्वारा आधार एवं दस्तावेज अद्यतन हेतु निर्धारित दर का 10% CSC-SPV द्वारा राज्य रजिस्ट्रार और एनरोलमेंट एजेंसी अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड सरकार को भुगतान किया जायेगा ।
5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के संलेख ज्ञापन सं०-669 दिनांक-30-05-2025 के क्रम में दिनांक-04.06.2025 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी संख्या-09 में दी गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूजा सिंघल
सरकार के सचिव ।
